आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

05/01/2024

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.R Case No. -08/2008-09

लक्ष्मीनारायण सिंह **बनाम** कैलाश प्रसाद यादव एवं अन्य।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-09/2005-06 में दिनांक-13.02.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन दायर है।

वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-09/2005-06 में दिनांक-13.02.2008 को पारित आदेश के द्वारा आवेदक लक्ष्मीनारायण सिंह द्वारा मौजा-मिहिजाम के दाग सं0-2714/ए0 एवं 3192/ए0 के कुल 06 काठा और 12.50 डी0 से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 42 के तहत कैलाश प्रसाद यादव एवं अन्य को उच्छेद नहीं किया गया है एवं आवेदक को सक्षम न्यायालय उनके इच्छानुसार जाने हेतु निदेश दिया गया।

पक्षकार के विज्ञ अधिवक्ता अनुपस्थित। पक्षकार लक्ष्मीनारायण सिंह की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल किये गये आवेदन का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के अनुसार गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार मौजा-मिहिजाम के दाग सं0-2714 एवं 3192 के खतियानी रैयत रामसहाय महतो के नाम से दर्ज है। रामसहाय महतो की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी द्वारा उक्त दाग सं0 के अंश रकवा को ओमनारायण शर्मा को बेच दिया गया। ओमनारायण शर्मा और उसके भाई द्वारा उक्त जमीन और मिट्टी, बालू भरने के पश्चात मकान का निर्माण किया गया। वर्ष 2001को ओमनारायण शर्मा एवं उनके भाई द्वारा पुनः अवैध रूप से विपक्षी कैलाश प्रसाद यादव एवं अन्य को बेच दिया। पुनः ओमनारायण शर्मा एवं उनके भाई द्वारा रामसखी देवी के पक्ष में 15.12.2001 को डीड बनाकर उक्त जमीन एवं मकान पर दखल-कब्जा कराया गया। निम्न न्यायालय में अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा अंचल अधिकारी जामताड़ा के जाँच प्रतिवेदन में विपक्षी का सही दस्तावेज नहीं होने एवं अवैध रूप से अहस्तांतरणीय जमीन पर कब्जा का प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा विपक्षी को उक्त जमीन का खतियानी रैयत का उत्तराधिकारी नहीं माना गया है, जो सही है लेकिन उक्त जमीन को कृषि योग्य भूमि नहीं मानना पूर्णतः गलत है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा कई बार नोटिस किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है लेकिन विपक्षी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में वे लगातार उपस्थित रहें।

उभयपक्ष का उक्त वाद में अभिरूचि का अभाव प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-09/2005-06 में दिनांक-13.02.2008 को पारित आदेश को बिना गुण-दोष विचार किये हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.01.18 10:56:18 +05:30
Location: 192.168.43.106

लेखापित एवं संशोधित।

5/01/2024

उपायुक्त,
जामताड़ा।

5/01/2024

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
12/01/2024